भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - †2912

उत्तर देने की तारीख - 08.08.2024

असम के समुदायों का अनुसूचित जनजाति दर्जा

†2912 श्री फणी भूषण चौधरी:

मोहम्मद रकीबुल हुसैन:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राज्य सभा में आदिवासी या "चाय जनजातियाँ", चुटिया, कोच- राजबंशी , मतक, मोरन और ताई-अहोम समुदाय सहित असम की कुछ जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से विधेयक लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने असम में ऐसी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उक्त राज्य के ताई अहोम, मतक, मोरन, चुटिया, कोच-राजबंशी और आदिवासी या चाय जनजातियां बहुत लंबे समय से अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (घ): असम राज्य के संबंध में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक-2019 नामक विधेयक 9 जनवरी, 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया था। इसमें 41 समुदायों यानी मोरन, मतक, चुटिया, कोच राजबंशी, ताई अहोम और 36 चाय जनजातियों को असम की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था। भारत सरकार ने 15.6.1999 को तथा 25.6.2002 और 14.09.2022 को संशोधित करके अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूचियों को निर्दिष्ट करने वाले आदेशों में शामिल करने, बहिष्कृत करने तथा अन्य संशोधन के लिए दावों के निर्धारण के लिए प्रविधियाँ निर्धारित हैं। इन प्रविधियों के अनुसार, केवल उन्हीं प्रस्तावों पर कानून में संशोधन के लिए विचार किया जाना है, जिनकी संस्तुति संबंधित राज्य सरकार द्वारा की गई है तथा जिन्हें उचित ठहराया गया है, तथा जिन पर भारत के महापंजीयक (आरजीआई) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने सहमति व्यक्त की है। सभी कार्रवाई इन अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार की जाती है।

(ङ): जी हां सर.

(च): जैसा कि भाग (क) से (घ) के उत्तर में बताया गया है।

*****